

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ-1 (61)पीएस/निकाशि/2012/217

दिनांक : 3/7/2012

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ की सिविल याचिका संख्या 76/2000 एवं डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 15880/08 में पारित निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ की सिविल याचिका संख्या 4890/04 एवं डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 2618/07 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.12 एवं 10.04.2008 की अनुपालना में विभागीय रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत डी.बी. स्पेशल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीय निम्नलिखित व्याख्याताओं को रिव्यू स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 02.07.12 की अनुशंसा पर बिना व्यवधान के की गई एडहॉक/अस्थाई सेवा को सम्मिलित करते हुए कैरियर एडवांसमेन्ट योजना के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान वेतन श्रृंखला 3000-5000 (दिनांक 01.01.96 से संशोधित वेतनमान 10000-15200) स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	पद व पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति तिथि
1.	अशोक कुमार अग्रवाल, व्याख्याता, भौतिक शास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय, भरतपुर	07.02.65	23.08.96
2.	नत्थू सिंह, व्याख्याता भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, करौली	05.10.65	30.11.96
3.	श्रीमती सुमित्रा मीणा, व्याख्याता प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी	10.10.67	21.02.98
4.	श्री विश्राम लाल, व्याख्याता रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, करौली	05.05.65	28.02.96
5.	श्री सूर्य प्रताप सिंह, व्याख्याता वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली	03.12.62	02.03.95
6.	श्री राजपाल सिरोहीवाल, व्याख्याता हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली	29.10.62	11.04.98
7.	श्रीमती रेखा मण्डोवरा, व्याख्याता प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली	06.04.69	30.01.98
8.	श्रीमती अनुभा गुप्ता, व्याख्याता रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली	02.10.65	28.05.98
9.	श्री हनीफ खान, व्याख्याता भौतिक शास्त्र, एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर	08.07.54	16.09.88
10.	श्रीमती प्रीती शर्मा, व्याख्याता रसायन शास्त्र, एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर	07.09.62	01.09.96
11.	श्री शैलेन्द्र गुप्ता, व्याख्याता अंग्रेजी, एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर	01.07.57	14.11.96

12.	श्रीमती सज्जन पोसवाल, व्याख्याता इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़	14.07.66	27.07.98
13.	श्री ओम पाल सिंह, व्याख्याता रसायन शास्त्र, आर.आर. महाविद्यालय, अलवर	15.02.63	17.02.97
14.	श्रीमती अर्चना कर्नावत, व्याख्याता वनस्पति शास्त्र, आर.आर. महाविद्यालय, अलवर	13.06.63	06.07.96
15.	श्रीमती मनीषा माथुर, व्याख्याता वनस्पति शास्त्र, आर.आर. महाविद्यालय, अलवर	15.01.68	12.04.98
16.	श्रीमती उषा गुप्ता, व्याख्याता रसायन शास्त्र, आर.आर. महाविद्यालय, अलवर	04.07.63	21.06.96
17.	श्रीमती अनीता कोठारी, व्याख्याता अग्रंजी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	21.08.54	22.08.95

इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम-26 के अन्तर्गत किया जावेगा।



(सुबीर कुमार)


निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1 (61)पीएस/निकाशि/2012/ 217

दिनांक : 3/7/2012

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. संबंधित प्राचार्य को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश के अनुसार इनका वेतन स्थिरीकरण कर अविलम्ब एरियर का भुगतान कर फैंक्स द्वारा सूचित करें।
7. संबंधित व्याख्याता।
8. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. वाद प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. स्थापना शाखा/विधि शाखा।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर